

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4(ई)वरिष्ठता/कनि0 लेखा0/2024/अलेसे-III 6404 दिनांक :- 13.08.2025
कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1301 दिनांक 09.07.2025 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में नियमित रूप से टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकारों की दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर दिनांक 20.07.2025 तक लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। उक्त क्रम में प्राप्त आपत्तियों/अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् संशोधन उपरान्त दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में कनिष्ठ लेखाकार (टी.एस.पी. क्षेत्र) की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है।
उक्त वरिष्ठता सूची विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों एवं लम्बित प्रकरणों में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार परिवर्तनशील रहेगी।

क्रम सं.	लिक नं.	मेरिट/बैच	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	वर्ग	वि० वि०
1	10352	3593/2013	शंकर लाल	01.08.84	ST	निलम्बित

नोट:-

- जिन लेखाकर्मियों के नाम के आगे विशेष विवरण में बन्द लिफाफा, आस्थगित, पदोन्नति परित्याग अंकित है, वे अभी कनि० लेखाकार संवर्ग में ही हैं। बन्द लिफाफा प्रकरणों में विभागीय जाँच के परिणाम के अनुसार तथा आस्थगित प्रकरणों में डीपीसी हेतु वांछित अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/संतान घोषणा पत्र) पूर्ण होने पर रिव्यू डीपीसी के निर्णयानुसार वरिष्ठता अंतिम रूप से निर्धारण योग्य होगी।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनि० लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 के रिशफल परिणाम में कनि० लेखाकार से तह० राजस्व लेखाकार पद पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले 28 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थियों द्वारा मान० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ से स्थगन प्राप्त किए जाने के कारण उनकी वरिष्ठता मान० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जारी अन्तिम निर्णय के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
- उक्त वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा-2023 में चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को एवं उसके पश्चात् शहीद आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को शामिल नहीं किया गया है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ4(ई)वरिष्ठता/कनि० लेखा०/2025/अलेसे-III 6404 दिनांक :- 13.08.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (कार्मिक-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) कार्यालय हाजा।
- श्री.....कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय.....
- रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1/111)